अनुदान संख्या 73 – राज्य सभा
GRANT No. 73–RAJYA SABHA

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged–*					
मूल	*Original*	*18,00*		*37,00*	*32,72*	*–4,28*
पूरक	*Supplementary*	*19,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted–					
मूल	Original	84,34,00		91,88,00	84,89,73	–6,98,27
पूरक	Supplementary	7,54,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					3,88,49

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (698.27 लाख रु.) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 754.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 93 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the grant, the overall savings (Rs.698.27 lakhs) constituted 93 percent of the supplementary grant of Rs.754.00 lakhs obtained in February, 2004 and 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2011'' संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head "2011" Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	8434.00	8799.51	8489.73	–309.78
पू.	S.	754.00			
पु.	R.	–388.49			

(I) एक शीर्ष के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) शीर्ष ''संसद'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान पूर्णतया/प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक निम्नानुसार अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''राज्य सभा - सदस्य''- 5987.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 513.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 6500.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 577.67 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सदस्यों के चिकित्सा दावे प्राप्त न होने, रेल मंत्रालय से नामे दावे प्राप्त न होने, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से बिल प्राप्त न होने तथा भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों के विदेश दौरे रद्द किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''राज्य सभा सचिवालय''- 2211.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 239.50 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2450.50 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो प्रत्याशा से कम कार्यालय खर्च किए जाने के कारण 25.41 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Supplementary grant obtained under "Parliament" remained unutilised wholly/to the extent as shown against each:–

(A) "Rajya Sabha – Members" – the original provision of Rs.5987.00 lakhs was augmented to Rs.6500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.513.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.577.67 lakhs (including supplementary grant) due to non-receipt of medical claims of Members, non-receipt of debit claims from the Ministry of Railways, non-receipt of bills from Mahanagar Telephone Nigam Limited and cancellation of visits of Indian Parliamentary Delegations to foreign countries.

(B) "Rajya Sabha Secretariat" – the original provision of Rs.2211.00 lakhs was augmented to Rs.2450.50 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.239.50 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.25.41 lakhs – due to less office expenses than anticipated.